न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 06 / 2020 / जैसलमेर

अपीलांट

1. मुराद पुत्र अली
2. म्लूक पुत्र अली
3. रहमान पुत्र अली जातियान मुसलमान निवासी पडिहारी पटवार हल्का पिथला तहसील व जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.मृतक बालकिशन पुत्र भंवरलाल
का.मु.दिलीप कुमार पुत्र बालकिशन
2.मृतक आनंदकिशोर पुत्र बालकिशन
का.मु. दिलीप कुमार पुत्र बालकिशन
3.जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा
जैसलमेर हाल बैंक राजस्थान
मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जैसलमेर
4.राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 38 / 1983 बनवान बालकिशन बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.06. 1984 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री बसीर मोहम्मद अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री विपिन व्यास रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से
3. राजकीय अभिभाषक श्री हरिराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 04 की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 03.08.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट की कृषि भूमि ग्राम कुलधर में आई हुई है अमीनों ने वादीगण के नाम समरी में दर्ज खसरा संख्या 18 रकबा 356.10 बीघा भूमि के हाल खसरा संख्या 160 रकबा 305.04 बीघा तथा खसरा संख्या 160 / 322 रकबा 52.10 बीघा भूमि दर्ज की है जब कि उक्त भूमि मौके पर पथरीली व नाकाबिल काश्त है वास्तव में रेस्पोडेंट की भूमि खसरा संख्या 288 रकबा 66.04 बीघा है जो ग्राम कुलधर में है वादीगण का किसी भूमि पर कब्जा रहा है अतः वादीगण के नाम दर्ज खसरा संख्या 160 / 322 की भूमि सिवायचक दर्ज की जावे एवं खसरा संख्या 288 रकबा 66.04 बीघा का पट्टा व पासबुक दिलावाई जावे। वादी द्वारा पेश वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व महत्वपूर्ण रेकर्ड तुलनातम्क रजिस्टर जो समरी खसरा के हाल नम्बर नये नम्बर क्या बने उसका असली रेकर्ड कलक्टर रेकर्ड शाखा में मौजूद होते हुए भी उसकी नकले प्रस्तुत नहीं की जाकर राजस्व रिकॉर्ड को छिपाया गया। वादीगण ने राजस्व रेकर्ड के विपरीत अपनी तुलनात्मक रजिस्टर के महत्वपूर्ण दस्तावेज को अनदेखा कर व उनके स्वयं के बेचान पत्र खरीद फरोक्त के तैयार किये गये थे उसमें इस भूमि को अपनी खातेदारी होना, अपनी कब्जा काश्त में होना, अपनी मालिकाना हक की होना स्वीकार किया गया था फिर बाद में खसरा संख्या 160/322 रकबा 66.04 बीघा को नाकाबिल काश्त भूमि व मगरा की भूमि बता कर उसके बदले में हाल खसरा संख्या 288 जो वादीगण के खाते में हाल खसरा संख्या 160 दर्ज हुई थी उस खेत से इस खेत की दूरी करीबन 5–7 किमी दूर होते हुए भी इस भूमि खसरा संख्या 288 की खातेदारी चाही गई जो कि काननून नहीं दी जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अमीनों ने वादीगण के नाम समरी में दर्ज खसरा संख्या 18 रकबा 356.10 बीघा भूमि के हाल खसरा संख्या 160 रकबा 305.04 बीघा तथा खसरा संख्या 160/322 रकबा 52.10 बीघा भूमि दर्ज की है जब कि उक्त भूमि मौके पर पथरीली व नाकाबिल काश्त है वास्तव में रेस्पोडेंट की भूमि खसरा संख्या 288 रकबा 66.04 बीघा है जो ग्राम कुलधर में है वादीगण का इसी भूमि पर कब्जा रहा है अतः वादीगण के नाम दर्ज खसरा संख्या 160/322 की भूमि सिवायचक दर्ज की जावे एवं खसरा संख्या 288 रकबा 66.04 बीघा का पट्टा व पासबुक दिलावाई जावे। अपीलांटगण हस्तगत प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पिड़ित पक्षकार नहीं होने से इनको अपील पेश करने की अनुमति ही नहीं है। इसलिए अपील को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की काई वैधानिक त्रुटि इंगित नहीं होती है। अतः अपीलांटगण द्वारा पेश अपील को मय खर्चा के खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि वादी जो खातेदारी घोषणा करवाना चाहता व भू बंदोबस्त अधिकारी द्वारा तय खातेदारी रेकर्ड की भूमि के बदले दूसरी भूमि पर के रूप में चाहता है, धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पाने का अधिकारी कतई नहीं दावा विधि से वर्जित रहा है। वक्त समरी सेटलमेंट व पुख्ता सेटलमेंट वादग्रस्त खसरा संख्या 288 रकबा 66.04 बीघा पर वादीगण का कब्जा काश्त रहा है तथा भूमि पीढियात की कब्जा काश्त की परन्तु इस सम्बन्ध में वादी का दस्तावेजी साक्ष्य संवत 2012 से लेकर संवत 2021 तक काश्त का पेश नहीं है। समरी सेटलमेंट 2021 में तुलना रजिस्टर स्पष्ट से वादी का कब्जा खसरा संख्या 160/322 में अभिव्यक्त कर रहा है। जबकि खसरा संख्या 288 के संवत 2021 के रेकर्ड व कब्जा का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। संवत 2022–2023 में पुख्ता सेटलमेंट से लेकर संवत 2038 तक खसरा संख्या 288 के कब्जा काश्त का कोई दस्तावेज वादीगण ने पेश नहीं किया है। न ही उक्त भूमि का कोई राजस्व रेकर्ड पेश किया है। उक्त खसरा संख्या 288 संवत 2022–2023 से लेकर लगातार संवत 2040 तक सिवायचक अभिलिखित रहा है, केवल मात्र संवत 2039 में केवल 8.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमी होने से कायम खसरा परिवर्तनशील इएक्स–4 को आधार बनाकर पीढियात कब्जा स्थापित कतई नहीं किया जा सकता है। खसरा परिर्वतनशील को खातेदारी घोषाणा का दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्रहण कतई नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य ई एक्स पी 2 व ई एक्स पी 3 को पूरी तरह अनदेखा किया व उनका अपने निर्णय में कोई अंकन या विवेचन तक नहीं किया व वास्तविक साक्ष्य को छिपाना अधीनस्थ न्यायालय की मंशा में खोट प्रकट करता है, तथा बाद में तत्कालीन तहसीलदार(भूमिधाकर) ने वादीगण से मिलावट कर व दबाव में रहकर अक्त निर्णय व डिक्री की अपील करने के पदीय दायित्व के विपरित जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। सेटलमेंट के समय मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2010(1) Page 255

RRD 1994 Page 241

RRT 2012(1) Page 286

RRT 2012(1) Page 325

RRT 2012(2) Page 1130

RRT 2013(1) Page 2016

RRT 2013(1) Page 248

RRT 2003(2) Page 1090

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि रेस्पोडेंट के समरी खसरा संख्या 18 में रकबा 356.10 बीघा दर्ज था जिसके हाल खसरा संख्या 160 रकबा 305.04 बीघा तथा खसरा संख्या 160/322 रकबा 52.10 बीघा बने जिसकी खातेदारी वक्त सेटलमेंट वादी/रेस्पोडेंट को दी गई। अपीलाधीन आराजी को लेकर खातेदार पुरूषोतमदास ने अपना हिस्सा बजरिये रजिस्टर्ड बेचान वादी संख्या 02 आनंदकिशोर के नाम से कर दिया तथा खसरा संख्या 160 को वादीगण ने बेचान कर दिया। वादीगण द्वारा अपीलाधीन आराजी जो वक्त सेटलमेंट उनके नाम से दर्ज हुई उसको सही मानते हुए खरीद फरोक्त की गई। वादी स्वयं अपने हक में हुई खातेदारी को स्वीकार कर रहा है। स्वयं की स्वीकारोक्ति के बाहर जाकर वादी को दावा पेश करने का अधिकार नहीं है। वादी के नाम दर्ज हुई जमीन जो नाकाबिल काश्त होना बता कर सुदुर स्थिति खसरे पर खातेदारी अधिकार देना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 प्रतिकूल कब्जे को आधार बनाकर सरकारी भूमि हड़पने की नीयत और सोच से खातेदारी प्राप्त करने का असफल प्रयास कर रहे है जो कतई स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में रेस्पोडेंट संख्या 04 के निवेदन को स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील को रेस्पोडेंट संख्या 04 के हित में स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अतः अपीलांट की अपील को रेस्पोडेंट संख्या 04 के हित को ध्यान में रखते हुए स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 38/1983 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.1984 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार जैसलमेर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.1984 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में किये गये अंकन को विलोपित कर निर्णय से पूर्व की स्थिति को बहाल करे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर